16.1.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2025/515

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.01.16 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 256/25 GCMS:-2025/515 **दायर दिनांक 12–08–2025**

बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट साकिन सांवलसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 आ0 न0 5443 7893 3022 ——— वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

2– हेतराम पुत्र श्री किशनाराम
3– बीरबल पुत्र श्री किशनाराम
4–गीता देवी पुत्री श्री किशनाराम
5–सावित्रि पुत्री श्री किशनाराम
6–मीरा पुत्री श्री किशनाराम

} अकवाम जाट साकिनान सांवलसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– कमलदत्त शर्मा, विशाल पंवार अभिभाषकगण वादी

2– मूलचन्द शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2 ता 6

3– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 16.01.2026

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 43/41 के खसरा न0 6 में 3.440 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 143 में 2.731 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 430 में 8.768 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 578/27 में 5.514 है0 बारानी दोयम कुल 18.453 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जैरवाद भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम बेगराज पुत्र श्री किशनाराम दर्ज है । जबकि वादी अपना नाम बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है । वादी कानूनी की पैचिदगियो से अनभिग एवं अनजान है । जिसके कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडीयो का फायदा मात्र नाम के सही न होने के कारण वादी को वंचित रहना पड़ रहा है । जबकि वादी सरकारी के द्वारा चलाई जा रही स्कीमो का फायदा पाने की कानूनन हकदार है। सभी सरकारी दस्तावैजो में नाम की एक रूपता होनी उचित है वादी वर्तमान में बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम के नाम से जाना पहचाना जाता है वा इसी अनुसार जमाबन्दी में अंकित होने का वादी कानूनन हकदार है एवं [illegible] करवाने का पात्र है। बेगराज पुत्र श्री किशनाराम के नाम से वादी [illegible] वादी का बचपन का नाम था बड़े होने पर वादी का नाम बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम [illegible] सरकारी दस्तावैजी रिकार्ड में अंकित करवाया गया। आधार कार्ड [illegible] , पेन कार्ड , मूल निवास प्रमाण–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.16 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

 (प्र0सं0 385/24 अणतुराम उर्फ अन्तराम बनाम सरकार वगैरा)

में भी वादी का नाम बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम अंकित है उक्त अनुसार वादी का सही नाम बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम है । इसलिए वादी जैरवाद भूमि में अपना नाम संशोधन करवा कर बेगराज पुत्र श्री किशनाराम के स्थान पर बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम अंकित करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का अभिभाषक मूलचन्द शर्मा उपस्थिति । पेरोकार राज उपस्थित हुये। साक्ष्य जिसमें वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावैजी साक्ष्य में हेतराम का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने इकबाल दावा प्रस्तुत पर नाम दुरूस्ती में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की ।

वादी की बहस सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो के आधार पर वादी के निवेदन करते हुये बताया कि जैरवाद रकबा एवं सार्वजनिक दस्तावैजो में वादी के नाम में एकरूपता नही है । जमाबन्दी में वादी का नाम बेगराज पुत्र श्री किशनाराम दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावैजो में बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम दर्ज है । इसलिए वादी जैरवाद रकबा में नाम दुरूस्ती करवाना चाहता है ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया वादी के नाम जमाबन्दी में बेगराज पुत्र श्री किशनाराम दर्ज है । जबकि अन्य दस्तावैजो आधार कार्ड , राशन कार्ड , आधार कार्ड , पेन कार्ड , मूल निवास प्रमाण–पत्र ,सरपंच प्रमाण–पत्र में भी वादी का नाम बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम दर्ज है । जबकि जमाबन्दी और अन्य दस्तावैजो में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को सहायता मिलने से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए वादी का नाम संशोधित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 43/41 के खसरा न0 6 में 3.440 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 143 में 2.731 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 430 में 8.768 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 578/27 में 5.514 है0 बारानी दोयम कुल 18.453 है0 बारानी खातेदारी भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का बेगराज पुत्र श्री किशनाराम कलमजन कर बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.202[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.16 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इस्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.
अनवान :

बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट साकिन सांवलसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 आ0 न0 5443 7893 3022 ––––– वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
2– हेतराम पुत्र श्री किशनाराम
3– बीरबल पुत्र श्री किशनाराम
4–गीता देवी पुत्री श्री किशनाराम
5–सावित्रि पुत्री श्री किशनाराम
6–मीरा पुत्री श्री किशनाराम

(2 से 6) अकवाम जाट साकिनान सांवलसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 256 वर्श 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाशक **कमलदत्त शर्मा, विशाल पंवार वादी व मूलचन्द शर्मा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 एवं** राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 43/41 के खसरा न0 6 में 3.440 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 143 में 2.731 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 430 में 8.768 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 578/27 में 5.514 है0 बारानी दोयम कुल 18.453 है0 बारानी खातेदारी भूमि में 1/6हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का बेगराज पुत्र श्री किशनाराम कलमजन कर बेगाराम पुत्र श्री किशनाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज दिनांक 16.01.2026 को जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.16 17:39:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)